संख्या- 59 /2018/2306 / अड़तीस-5-18-48सम/2016

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 27 जून, 2018

विषयः राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड आराजीलाइन की एक एवं काशी विद्यापीठ की एक अर्थात कुल दो ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-229/2042-राज्य पेयजल/2018, दिनांक 01 जून, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड आराजीलाइन की बसन्त पट्टी ग्रामीण पेयजल योजना तथा विकास खण्ड काशी विद्यापीठ की बिसोखरपुर औरा ग्रामीण पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल लागत रू0 395.12 लाख की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 158.05 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड आराजीलाइन की एक एवं विकास खण्ड काशी विद्यापीठ की एक ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि रू 237.07 लाख (रूपये दो करोड. सैंतीस लाख सात हजार मात्र) राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

| क्र. | विकास खण्ड | ग्रामीण पेयजल योजना | अनुमोदित/ स्वीकृत लागत | प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि | स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आराजीलाइन | बसंत पट्टी ग्रामीण पेयजल योजना | 193.73 | 77.49 | 116.24 |
| 2. | काशी विद्यापीठ | बिसोखरपुर औरा ग्रामीण पेयजल योजना | 201.39 | 80.56 | 120.83 |
| योग | | | 395.12 | 158.05 | 237.07 |

(रूपये दो करोड. सैंतीस लाख सात हजार मात्र)

1. उपर्युक्तानुसार स्वीकृत बसंत पट्टी व बिसोखरपुर औरा ग्रामीण पेयजल योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-1183/अडतीस-5-2016-27सम/2012, दिनांक 20 जुलाई, 2016 द्वारा जारी राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।
2. अवमुक्त धनराशि रू 237.07 लाख कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय स्वीकृति की सीमा तक सीमित होगा।
4. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना / योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

3/17

5. प्रश्नगत कार्य के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
6. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तद्नुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
7. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री / उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
8. परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त इसके रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।
9. स्वीकृत परियोजना / कार्य में द्विरावृति से बचने के लिए कार्य के प्रारम्भ एवं कार्य की समाप्ति पर वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
10. निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों / मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा तथा कराये गये कार्यो का अलग से लेखा-जोखा रखा जायेगा । अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, इलाहाबाद/ ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 05- राज्य ग्रामीण पेयजल योजना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

संख्याः 59/2018/2306 (1)/अड़तीस-5-18-48सम/2016, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
4. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।